

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक / / 2021

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/3885/2021, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ क्रमांक 17(ई)-83-03 इक्कीस-ब(एक)-5864-2018, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, (1) सारणी में अनुक्रमांक 97, 98, 99 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
"97.	सीहोर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोर	सिविल जिला सिहोर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 98, 99 एवं 99-ए के विशेष न्यायालय को दी गई प्रादेशिक अधिकारिता को छोड़कर)
98	सीहोर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आष्टा	आष्टा का विद्युत क्षेत्र
99	सीहोर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज का विद्युत क्षेत्र।"

(2) अनुक्रमांक 99 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित जोड़ी जाएं, अर्थात्:-

"99 ए	सीहोर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुधनी	बुधनी का विद्युत क्षेत्र।"
-------	-------	--------------------------------	----------------------------

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/3885/2021, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F.No. 17(E)-83-03-XXI-B(I)-5864-2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1 dated 21st December, 2018, namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table-

- (1) for serial number 97, 98, 99 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“97.	Sehore	Additional Sessions Judge, Sehore	All Electricity Area of Civil District, Sehore (excluding the territorial jurisdiction of special courts at serial number 98, 99 and 99-A
98.	Sehore	Additional Sessions Judge, Astha	Electricity area of Astha
99.	Sehore	Additional Sessions Judge, Nasrullaganj	Electricity area of Nasrullaganj.”.

- (2) after serial number 99, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:-

“99-A.	Sehore	Additional Sessions Judge, Budhani	Electricity area of Budhani.”.
--------	--------	------------------------------------	--------------------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(अरुण कुमार सिंह)

(सीनि.) सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-ब(एक)/3885/2021, भोपाल, दिनांक 11/10/2021
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. B/5457/III-6-4/03-IX, दिनांक 07.09.2021 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग